



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

लाहसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाहसेन्सडू पोस्ट विदाउट प्रीमिअट)

16

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 अक्टूबर, 1988

श्रावण 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1973/सत्रह-वि०-1-1-(क)-17-1988

लखनऊ, 15 अक्टूबर, 1988

#### अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1988)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् --

“(इ) ‘कल्याणकारी स्टाम्प’ का तात्पर्य धारा 9 में निदिष्ट स्टाम्प से है ;

(च) ‘वकालतनामा’ के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है।”

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

“(खख) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना, जिसे आगे योजना कहा गया है, को आयोजित करना, जो ऐसे अधिवक्ताओं के लिये होगी जो योजना के सदस्य बन जाय ;”

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् --

“(ज) राज्य सरकार द्वारा धारा 10 के अनुसार अन्तर्हित स्टाम्प का विक्रय आगम ;

(झ) धारा 11 के अनुसार योजना की सदस्यता के लिये प्राप्त समस्त प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा और उस पर व्याज, यदि कोई हो।”

धारा 8 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारार्थें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

“8--स्टेट बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) स्टेट बार अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के दिनांक को तिथि में एक लाख रुपये काउन्सिल और तत्पश्चात् वर्ष के दौरान उसके द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा अभिदान नामांकन के निमित्त वसूल की गई फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का प्रतिवर्ष अभिदान करेगी।

9--(1) योजना का प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर, उच्च वकालतनामा न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को पर कल्याणकारी दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में पांच रुपये के और स्टाम्प किसी अन्य स्थिति में दो रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे सदस्य के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो।

(2) कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य किसी वाद या कार्यवाही में खर्च के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जायगा और किसी भी दशा में ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षकार से वसूल नहीं किया जायगा।

(3) किसी सदस्य द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन उसे योजना के लाभ से वंचित कर देगा और उसे प्रवचार समझा जायगा और न्यायी समिति समुचित कार्यवाही के लिए मामले की सूचना स्टेट बार काउन्सिल को देगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन वकालतनामा पर लगाया गया प्रत्येक कल्याणकारी स्टाम्प न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 में उपबन्धित रीति से एद किया जायगा।

कल्याणकारी स्टाम्पों का मुद्रण और विक्रय

10--(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कल्याणकारी स्टाम्प ऐसी डिजाइन में और ऐसे अंकित मूल्य का, जसा वह उचित समझे, जिस पर शब्द “कल्याणकारी स्टाम्प” मुद्रित होगा, मुद्रित करायगी।

(2) राज्य सरकार कल्याणकारी स्टाम्प के वितरण और विक्रय का नियंत्रण न्यायालय फीस स्टाम्प के विक्रय के लिये अपने द्वारा नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, जो वह उचित समझे, करेगी।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कल्याणकारी स्टाम्पों के विक्रय आगम का अन्तरण उसमें से स्टाम्पों के मुद्रण, विक्रय और वितरण में उपगत खर्च को काटने के पश्चात् निधि के लेखा में करेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे अन्तरण के तीन मास के भीतर न्यासी समिति को एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें मुद्रित और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च और निधि के लेखा में इस धारा के अन्तर्गत अन्तरित धनराशि का ब्योरा दिया जायगा।

11--(1) कोई अधिवक्ता योजना का सदस्य बनने के लिए, सचिव, न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन कर सकता है।

योजना की सदस्यता

(2) प्रत्येक आवेदक, आवेदन-पत्र के साथ एक सौ रुपये की प्रवेश फीस विहित रीति से एक भुगतान देगा।

(3) न्यासी समिति आवेदन-पत्र और प्रवेश फीस प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और या तो आवेदक को योजना की सदस्यता में सम्मिलित करेगी या ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगी और प्रवेश शुल्क के प्रति भुगतान की गयी धनराशि को वापस कर देगी :

परन्तु कोई आवेदन-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(4) इस प्रकार सम्मिलित किये गये आवेदक की सदस्यता उस वर्ष की, जब आवेदन-पत्र दिया गया था, पहली जनवरी को या अधिवक्ता के रूप में आवेदक के नामांकन के दिनांक को, जो भी पश्चात्बर्ती हो, प्रारम्भ हुई समझी जायगी।

(5) योजना का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये उस वर्ष के इकतीस दिसम्बर को या उसके पूर्व--

(क) पचास रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप से 5 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;

(ख) एक सौ रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अधिक किन्तु 10 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;

(ग) दो सौ पचास रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 10 से अधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;

की दर से वार्षिक चन्दा विहित रीति से देगा।

स्पष्टीकरण:--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये--

(एक) अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के अन्तर्गत विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अर्धीन प्लीडर या अन्य विधि व्यवसायी के रूप में नामांकित या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्धीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल) की नामावली में दर्ज अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय करना भी है;

(दो) विधि व्यवसाय की अधि की गणना उस कलेण्डर वर्ष के जिसके लिये चन्दा देय हो, प्रथम दिवस से या विधि व्यवसायी या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के दिनांक से इसमें जो भी पश्चात्बर्ती हो, की जायेगी।

12--(1) योजना का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा, यदि--

(क) उसकी मृत्यु हो जाय;

(ख) उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली से हटा दिया जाय;

(ग) वह अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दे;

(घ) उसके पास दो वर्ष या इससे अधिक अधि का वार्षिक चन्दा वकाया हो और न्यासी समिति उसे कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त कर दे।

सदस्यता की समाप्ति और पुनः प्रवेश

(2) किसी ऐसे अधिवक्ता को जो योजना का सदस्य नहीं रह गया है, उसके लिखित आवेदन-पत्र पर और ऐसे वार्षिक चन्दे के जिसका उसने भुगतान किया होता यदि उसकी सदस्यता बनी रहती, वकार्ये का और उस पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज का भुगतान करने पर, योजना का पुनः सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते उसका नाम स्टेट वार कॉउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली में यथास्थिति, पूर्ववत् कर दिया जाय या बना रहे।

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

13--(1) योजना का कोई सदस्य, सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा :--

(क) अपने द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि, यदि वह पांच वर्ष से कम अवधि के लिये सदस्य रहा हो।

(ख) अपनी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिये 1000 रुपये की दर से संगणित धनराशि, यदि वह पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिये सदस्य रहा हो किन्तु अधिकतम 50,000 रुपये।

(2) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि का भुगतान उसके नामांकित को या जहाँ कोई नामांकित न हो, वहाँ उसके विधिक वारिसों को किया जायगा।

स्पष्टीकरण:--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी सदस्यता न रह जाने के पश्चात् किन्तु उपधारा (1) के अधीन भुगतान प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाय।

सदस्यों के हित के अन्य संक्रामण, कुर्की इत्यादि पर निर्वन्धन

14--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, योजना के किसी सदस्य या उसके नामांकित या विधिक वारिसों का धारा 13 के अधीन निधि से कोई धनराशि प्राप्त करने के अधिकार या हित का न तो अन्य संक्रामण किया जायगा, न भारत किया जायगा और न किसी न्यायालय की किसी डिक्ली या आदेश के अधीन उसकी कुर्की की जा सकेगी।

सदभाव से किये गये कार्य का संरक्षण

15--इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभाव से की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न्यासी समिति या उसके किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

16--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना की सदस्यता के लिये आवेदन-पत्र दिया जा सकता है ;

(ख) योजना की सदस्यता के लिये प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा देने की रीति ;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना के सदस्यों की सूची रखी जायगी और उसकी प्रतियां या उद्धरण न्यायालयों को भेजे जायेंगे, जिससे कि वे धारा 9 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें ;

(घ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान के लिये आवेदन-पत्र दिये जायेंगे और ऐसे भुगतान के लिये न्यासी समिति द्वारा की जाने वाली जांच, यदि कोई हो, की प्रक्रिया ;

(ङ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिये नामांकित किया जाय ;

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।"

निरसन

5--उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सहाय,  
सचिव।

No. 1973 (2)/XVII-V-1—J(KA) 17-1988

Dated Lucknow, October 15, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 21 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh legislature and assented to by the Governor on October 15, 1988.

**THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 1988**

(U. P. Act No. 21 of 1988)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN  
ACT

to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1988.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely :—

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 6 of 1974

“(e) ‘Welfare Stamp’ means the stamp referred to in section 9 ;

(f) ‘Vakalatnama’ includes a memorandum of appearance or any other document by which an advocate is empowered to appear, act or plead before any court, tribunal, authority or person but does not include any Vakalatnama or memorandum of appearance filed on behalf of the State Government or an officer representing the State Government.”

3. In section 3 of the principal Act—

Amendment of section 3

(a) in sub-section (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely—

“(bb) the organisation of Advocate Social Security Fund Scheme herein after referred to as the Scheme, for such advocates as become members of the Scheme;”

(b) in sub-section (2), after clause (g), the following clauses shall be inserted namely :—

“(h) the sale proceeds of stamps transferred by the State Government in accordance with section 10;

(i) all admission fees and annual subscriptions, for membership of the Scheme received in accordance with section 11 and interest, if any, thereon.”

4. For section 8 of the principal Act, the following sections shall be substituted; namely :—

Substitution of section 8

“8. The State Bar Council shall contribute to the Fund rupees one lakh on the date of commencement of the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 1988 and thereafter annually, an amount equal to twenty five per centum of the fees realised by it on account of enrolment of Advocates during the year.

Contribution by State Bar Council

9. (1) Every member of the Scheme shall affix on the Vakalatnama accepted by him a Welfare Stamp of the value of five rupees in the case of Vakalatnama filed in the High Court or a Tribunal or any other authority or person and two rupees in any other case and no court, tribunal, authority or person shall receive any Vakalatnama in favour of such member unless it is so stamped in addition to any stamp required under any other law for the time being in force.

Welfare stamp on Vakalatnama

(2) The value of the Welfare Stamp shall neither be taxable cost in the suit or proceeding nor be collected in any event from a party to such suit or proceeding.

(3) Any contravention of the provisions of sub-section (2) by any member shall disentitle him to the benefits of the Scheme and shall be deemed to be a misconduct and the Trustees Committee shall report the matter to the State Bar Council for appropriate action.

(4) Every Welfare Stamp affixed on a Vakalatnama under sub-section (1) shall be cancelled in the manner provided in section 30 of the Court Fees Act, 1870.

Printing and sale  
of welfare stamps

10. (1) The State Government shall cause to be printed Welfare Stamps for the purposes of this Act, in such design and such denomination as it thinks fit with the words "Welfare Stamp" printed thereon.

(2) The State Government shall control the distribution and sale of Welfare Stamps through stamp vendors appointed by it for the sale of court fee stamps or through such other agency as it may deem fit.

(3) The State Government shall, at the close of every financial year transfer the sale proceeds of the Welfare Stamps after deducting the costs incurred in printing, sale and distribution of the stamps to the account of the Fund.

(4) The State Government shall furnish to the Trustees Committee a Statement containing the number of welfare stamps printed and sold, the details of costs deducted and the amount transferred under this section to the account of the Fund, within three months of such transfer.

Membership of  
the scheme

11. (1) Any advocate may apply to the Secretary, Trustees Committee in such form as may be prescribed, for admission as a member of the Scheme.

(2) Every applicant shall pay in the prescribed manner an admission fee of one hundred rupees in lump sum with the application.

(3) The Trustees Committee may, on receipt of the application and the admission fee, make such inquiry as it deems fit and shall either admit the applicant to the membership of the Scheme, or for reasons to be recorded in writing, reject the application and refund the amount paid towards admission fee :

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(4) The membership of an applicant so admitted shall be deemed to have commenced on the first day of January of the year in which the application was made or the date of enrolment of the applicant as an Advocate, whichever is later.

(5) Every member of the Scheme shall pay in the prescribed manner an annual subscription for every calendar year on or before the thirty-first day of December of that year at the rate of—

(a) fifty rupees, where he has practised as an advocate for not more than 5 years ;

(b) one hundred rupees, where he has practised as an advocate for more than 5 years but not more than 10 years;

(c) two hundred and fifty rupees, where he has practised as an advocate for more than 10 years.

*Explanation*—For the purposes of this sub-section,—

(i) practice as an advocate includes practice as a pleader or other legal practitioner enrolled under the Legal Practitioners Act, 1879 or as an Advocate on the roll of any Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961 ;

(ii) the period of practice shall be reckoned as on the first day of the calendar year for which the subscription is payable or the date of enrolment as a legal practitioner or an Advocate, whichever is later.

12. (1) A member of the Scheme shall cease to be such member, if—
- (a) he dies,
  - (b) his name is removed from the State Roll maintained by the State Bar Council ;
  - (c) he resigns the membership ;
  - (d) he is in arrears of annual subscription for a period of two years or more and the Trustees Committee after giving him an opportunity to show cause, terminates his membership.

Cessation of membership and re-admission

(2) An advocate who has ceased to be a member of the Scheme, may, on his written application and on payment of the arrears of annual subscription which he would have paid, if his membership had continued, together with interest thereon at the rate of eighteen per centum per annum, be readmitted to the membership of the Scheme provided his name is restored or, as the case may be, continues on the State Roll maintained by the State Bar Council.

13. (1) A member of the Scheme shall on ceasing to be such member, be entitled to receive from the Fund —

Payment from the Fund on cessation of membership

- (a) an amount equal to the aggregate of annual subscriptions paid by him, if he has been a member for a period of less than 5 years,
- (b) an amount calculated at the rate of Rs. 1000 for every completed year of his membership, if he has been a member for a period of five years or more subject to a maximum of Rs. 50,000.

(2) In the event of death of a member the amount payable under subsection (1) shall be paid to his nominee, or where there is no nominee, to his legal heirs.

*Explanation*—For the purposes of this sub-section, the term member includes a person who dies after ceasing to be a member before receiving payment under sub-section (1).

14. Notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force, the right or interest of any member of the Scheme or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund under section 13 shall not be alienated or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court.

Restriction on alienation attachment etc. of interest of members

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Trustees Committee, or any member or officer thereof in respect of any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

16. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the form and the manner in which application for membership of the Scheme may be made ;
- (b) the manner of payment of admission fee and annual subscription for the membership of the Scheme;
- (c) the form and the manner in which the list of members of the Scheme shall be maintained and its copies or extracts shall be communicated to courts to enable them to ensure compliance of the provision of section 9;
- (d) the form and the manner in which application for payment under section 13 shall be made and the procedure, if any, to be made by the Trustees Committee for such payment ;
- (e) the form and the manner in which nomination to receive payment under section 13 may be made ;
- (f) any other matter which has to be or may be prescribed."

5. The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

Repeal

U. P. Ordinance No. 12 of 1988

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.